भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 828
सोमवार, 27 जुलाई, 2026 (5 श्रावण, 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए वर्ष 2028 और 2030 के जैव-ईंधन सम्मिश्रण लक्ष्य

828. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के 'कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन' (सीओआरएसआईए) के अनुरूप वर्ष 2028 तक 2% और 2030 तक 5% सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) मिलाने के लिए कोई अनिवार्य राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया है;
(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2030 के 5% सम्मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की तेल विपणन कंपनियों को सालाना कितने जैव-जेट ईंधन के उत्पादन की आवश्यकता होगी; और
(ग) क्या सरकार घरेलू विमानन कंपनियों को इस महंगे ईंधन के उपयोग से होने वाले वित्तीय बोझ से बचाने के लिए किसी टैक्स छूट या सब्सिडी देने पर विचार कर रही है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

)क(और)ख(: सरकार ने अंतरराष्ट्रीय परिचालनों के लिए पारंपरिक विमानन टर्बाइन ईंधन में संवहनीय विमानन ईंधन)एसएएफ(के लिए 2027 तक 1%, 2028 तक 2% और 2030 तक 5% के सांकेतिक सम्मिश्रण लक्ष्यों को मंजूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां बताए गए सम्मिश्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।

)ग(: वर्ष 2019 में शुरू की गई और वर्ष 2024 में संशोधित पीएम जेआई-वीएएन योजना में एसएएफ संयंत्रों सहित वाणिज्यिक और प्रदर्शनीय उन्नत जैव ईंधन संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति है।

******